

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-04/2022

प्रेषक,

३५६२

पटना, दिनांक २७/६/२२

संजय दूबे मा०प्र०स०
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:-

मांग संख्या-37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु- उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105- रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 27 02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनरीक्षित प्रावधानित कुल राशि ₹ 253000.00 लाख रु० (दो हजार पाँच सौ तीस करोड़) रु० के विरुद्ध राशि ₹ 2000.00 लाख रु० (बीस करोड़) रु० मात्र की राशि ब्राडा के पी०एल० खाते में संधारण हेतु व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक ब-15/बी०एस०जी०-10/2021-303 दिनांक-30.03.2022 के आलोक में मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु -उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 2702 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रावधान कुल राशि ₹ 253000.00 लाख रु० (दो हजार पाँच सौ तीस करोड़) रु० के विरुद्ध सम्प्रति निकासी की अधिसीमा ₹ 82150.00 लाख रु० (आठ सौ इक्कीस करोड़ पचास लाख) रु० के अन्तर्गत अवशेष राशि से बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 (Ledger ID- 7069) अन्तर्गत पथों में कराये गये कार्य के भुगतान के निमित्त राशि ₹ 2000.00 लाख (बीस करोड़) रु० मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका विपत्र कोड 37-3054041050001 है।

2- वित्त विभाग, बिहार, पटना के यथा निदेश एवं समय-समय पर बंधेज के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना राशि की निकासी कर बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development Agency] पटना के CFMS Deposit Account- PNBPLA004 (CTMIS PL Account-PLA239) के निर्धारित लेजर में संधारित करेंगे।

3- उक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित एजेन्सी के द्वारा महालेखाकार को भेजते हुए ग्रामीण कार्य विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

२०६८
१६.०६.२२

८

२५६८ प ५११९
८२

4- यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-253/वि० (2) दिनांक- 11.03.2014 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक- 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जायेगा।

5- बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475ए बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

6- इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या-13/अ०प्र०-01-04/2022 के पृ०-७/टि० पर दिनांक- 27.06.2022 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

८
27/6/2022

सरकार के विशेष सचिव

/पटना, दिनांक २७/६/२२

ज्ञापांक -13/अ०प्र०-01-04/2022 ३५-६२

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, कोषागार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

८
27/6/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक -13/अ०प्र०-01-04/2022 ३५-६२ /पटना, दिनांक २७/६/२२

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रा०का०वि० के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ सचिव, ब्राडा-सह-अभियंता प्रमुख, ग्रा०का०वि०/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा०का०वि०/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा०का०वि०/ संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रा०का०वि०/ वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं योजना विभाग (योजना शाखा), बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी-12 (लेखा शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

८
27/6/2022

सरकार के विशेष सचिव

/पटना, दिनांक २७/६/२२

ज्ञापांक -13/अ०प्र०-01-04/2022 ३५-६२

प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रा०का०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

८
27/6/2022

सरकार के विशेष सचिव

३५-६२
16.6.22